न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 30/2022

1 सावत्री पत्नी महावीर
2 नरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र महावीर
3 दिनेश कुमार सैनी पुत्र महावीर जाति माली निवासीगण मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
4 सुमन पुत्री महावीर पत्नी जयप्रकाश जाति माली निवासी ढाणी मालियों की भुदोली तहसील नीमकाथाना जिला झुन्झुनू।
5 मंजु पत्नी महेन्द्रकुमार पुत्री महावीर जाति माली निवासी ढाणी तीजा वाला जोहड़ा तन श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 बाबुलाल सैनी
7 हजारीलाल सैनी
8 भगवानाराम सैनी
9 बोदूराम सैनी
10 पवनकुमार सैनी
11 राकेश कुमार सैनी समस्त पुत्रगण प्रभातीलाल उर्फ भातुराम जाति माली निवासी मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
12 गीता देवी पुत्री प्रभातीलाल उर्फ भातुराम पत्नी ताराचन्द जाति माली निवासी मुजरावाली ढाणी तन उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
13 मंजुदेवी पुत्री प्रभातीलाल उर्फ भातुराम पत्नी जयदेव जाति माली निवासी अण्डावाली की ढाणी तन नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
14 सुवादेवी पत्नी प्रभातीलाल उर्फ भातुराम जाति माली निवीस मावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बखिलाफ निर्णय दिनांक 07.02.2022 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी मु.नं. 253/2018 जीसीएमएस नम्बर
2018/00547 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम प्रभातीलाल
उर्फ भातुराम

उपस्थिति :

1. श्री धीरज कुमार बोयल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 10·10·24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 253/2018 में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 668, 669, 667, 671 वाके ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी थी। इसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना विचारण न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग साबित पाये जाने पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी थी। इसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना विचारण न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर